Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा - 12

भारतीय इतिहास के कुछ विषय

अध्याय - 3

बंधुत्व, जाति तथा वर्ग
आरंभिक समाज (600 ई.पू.-600 ई.)

भाग - 2

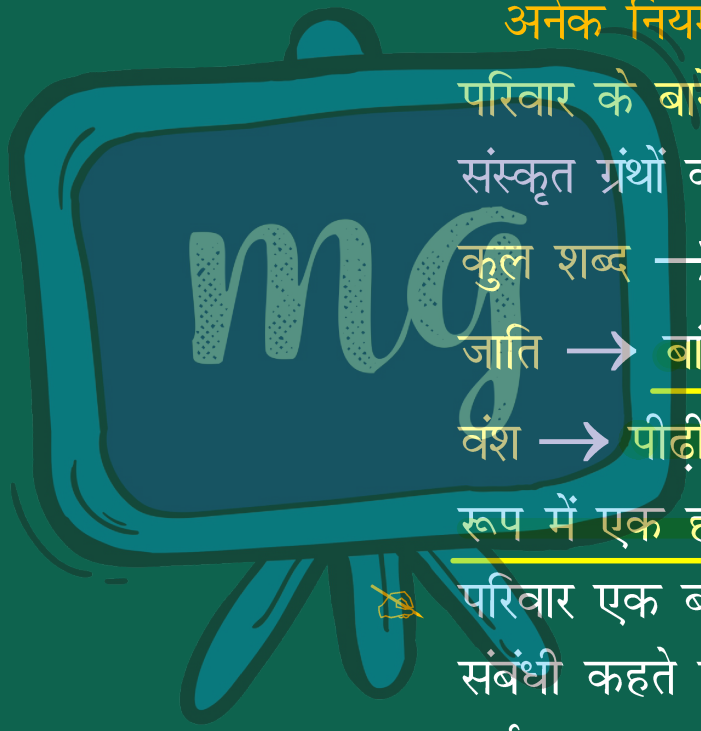
आरम्भिक समाज की स्थिति

प्रीतेश जोशी

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

बंधुता एवं विवाह



अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता

परिवार के बारे में जानकारी :-

संस्कृत ग्रंथों के अनुसार

कुल शब्द → परिवार के लिए

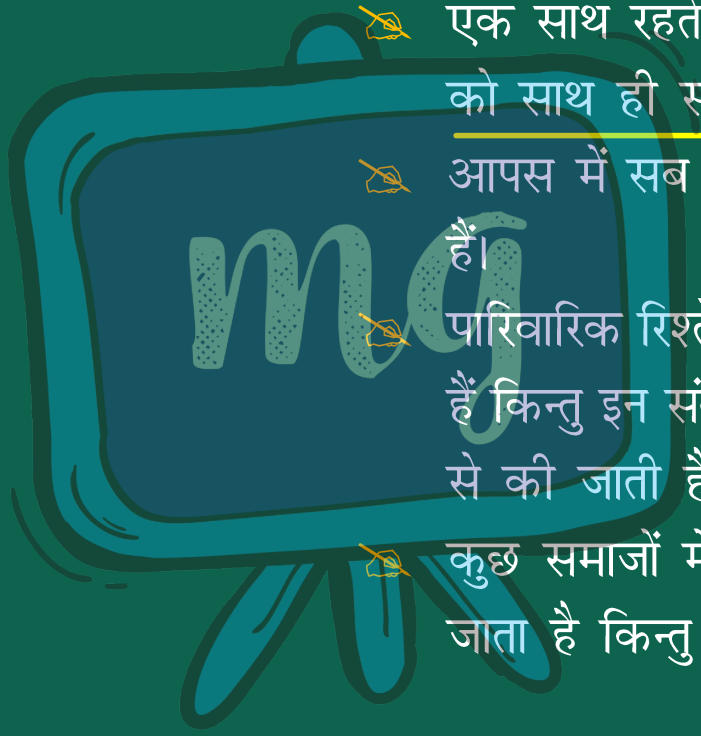
जाति → बांधकों के बड़े समूह के लिए

वंश → पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कुल के पूर्वज इक्ट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं।

- परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं।
- कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं।

Under CSR Support by ipca | Foundation

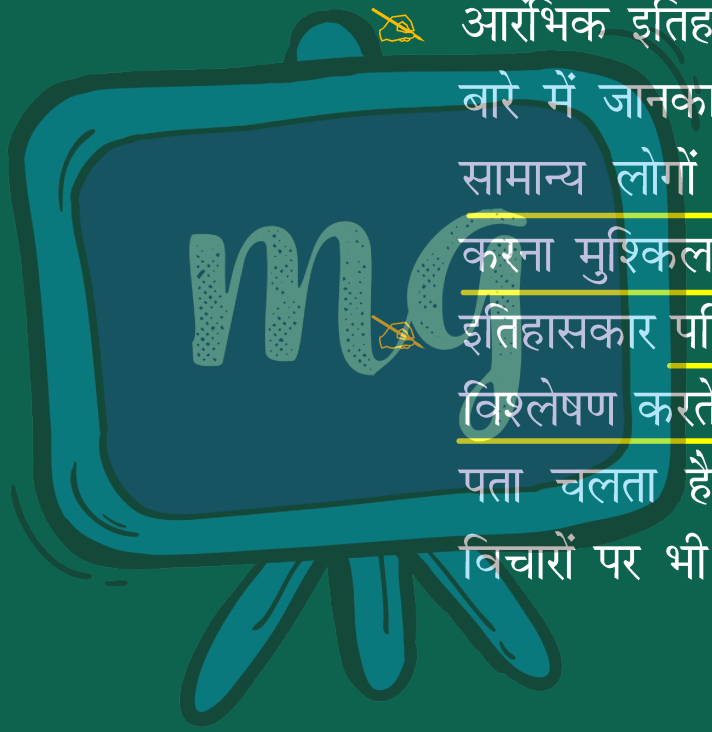
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं।
- आपस में सब संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं।
- पारिवारिक रिश्ते 'नैसर्गिक' और रक्त संबद्ध माने जाते हैं किन्तु इन संबंधों की परिभाषा अलग-अलग तरीके से की जाती है।
- कुछ समाजों में भाई-बहन से खून का रिश्ता माना जाता है किन्तु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- आरंभिक इतिहास के समाजों में विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है किन्तु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुर्ननिर्मित करना मुश्किल है।
- इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। इसमें लोगों के क्रियाकलापों तथा विचारों पर भी असर होता है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q. महाभारत का समालोचनात्मक विवरण किसने प्रस्तुत किया?

a) जेम्स प्रिंसेप
b) वी. एस सुकंथांकर
c) बी.बी लाल
d) इनमें से कोई नहीं

पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श :-

पितृवंशिकता :- वह वंश परम्परा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है।

मातृवंशिकता :- जहां वंश परम्परा मां से जुड़ी होती है।

- महाभारत बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन को निर्दिष्ट करती है।
- यह बांधवों के दो दलों – कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है।
- दोनों ही दल कुरू वंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए।
- इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया।
- हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया।
- पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर (राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी) अधिकार जमा सकते थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q. 600ईपू से 600ई तक प्रारंभिक समाज में लिंग भेद में महत्वपूर्ण वास्तव है? चर्चा करे

- अधिकतर राजवंश (600 ई.पू. से) पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था तो कभी बंधु -बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी।
- पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है।
- यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरूष और ब्राह्यमण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

विवाह के नियम

- विवाह के प्रकार –

  अंतर्विवाह : इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है।

  बहिर्विवाह – गोत्र से बाहर विवाह करना।

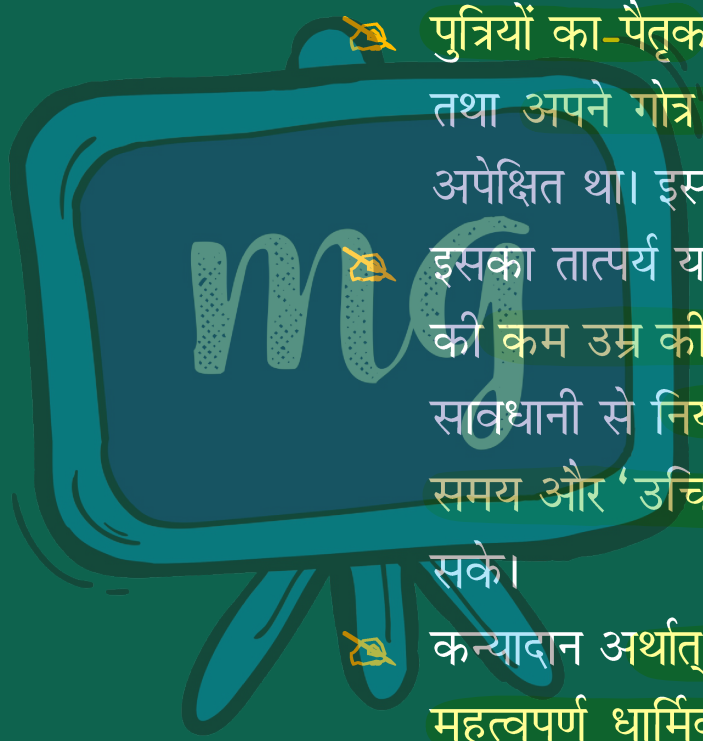
  बहुपत्नी प्रथा – एक पुरूष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी।

  बहुपति प्रथा – एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है।

- जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- पुत्रियों का-पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था तथा अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं।
- इसका तात्पर्य यह था कि ऊँची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था जिससे 'उचित' समय और 'उचित' व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके।
- कन्यादान अर्थात् विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

नए नगरों का उदय

↓

सामाजिक जीवन जटिल

↓

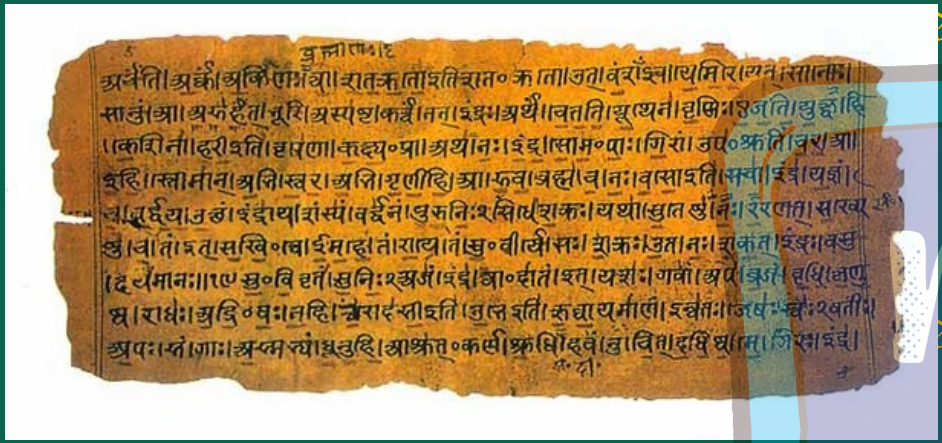
ब्राह्मण → आचार संहिता

नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद-फ़रोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान-प्रदान होता था। इसलिए आरंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्नचिन्ह लगाए गए।

- इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएँ तैयार कीं।
- ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

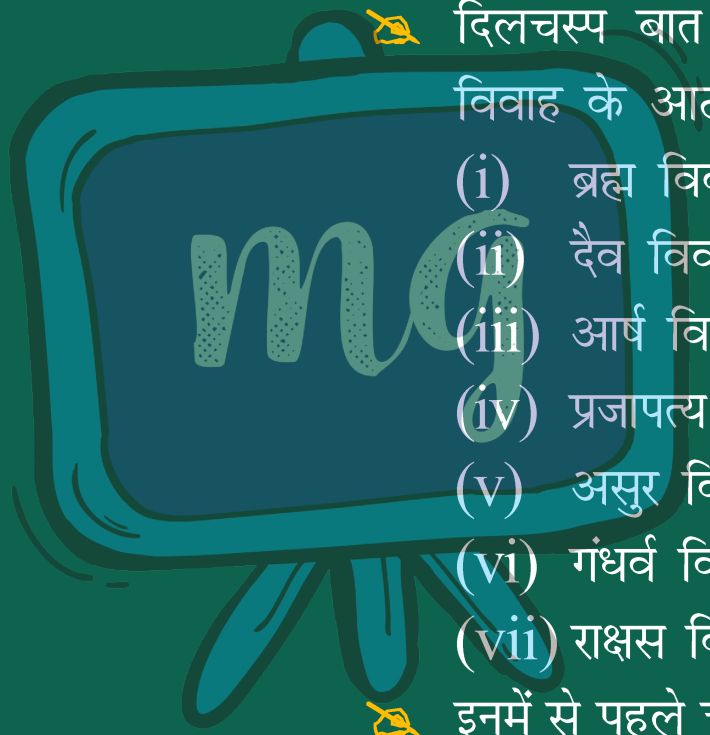
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



- लगभग 500 ई.पू. से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी जिसका संकलन लगभग 200 ई.पू. से 200 ईसवी के बीच हुआ।
- हालाँकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे।
- इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

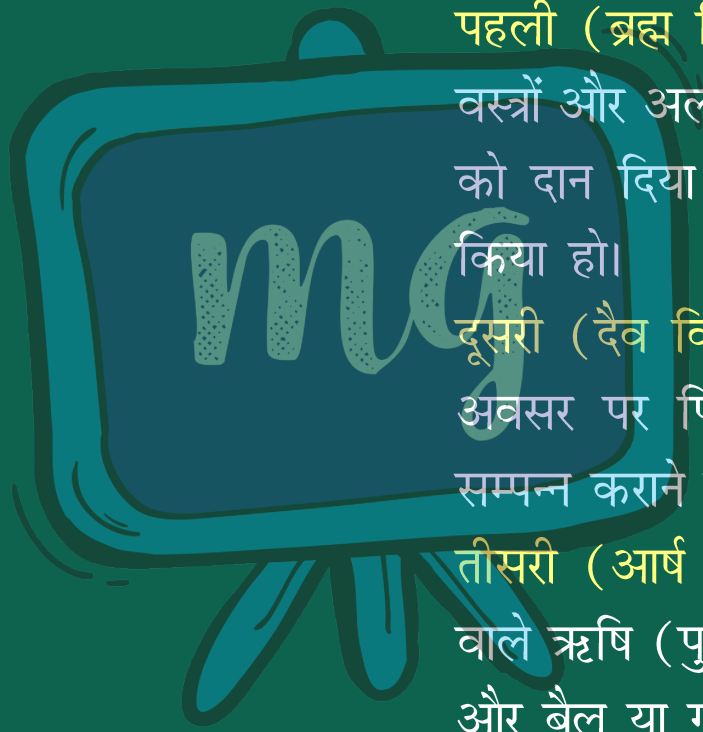


- दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के आठ प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं।
  - (i) ब्रह्म विवाह (सर्वोत्तम)
  - (ii) दैव विवाह
  - (iii) आर्ष विवाह
  - (iv) प्रजापत्य विवाह
  - (v) असुर विवाह
  - (vi) गंधर्व विवाह
  - (vii) राक्षस विवाह
  - (viii) पैशाच विवाह
- इनमें से पहले चार 'उत्तम' माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभवतः बाकी चार विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

विवाह के 8 प्रकार (मनुस्मृति से)



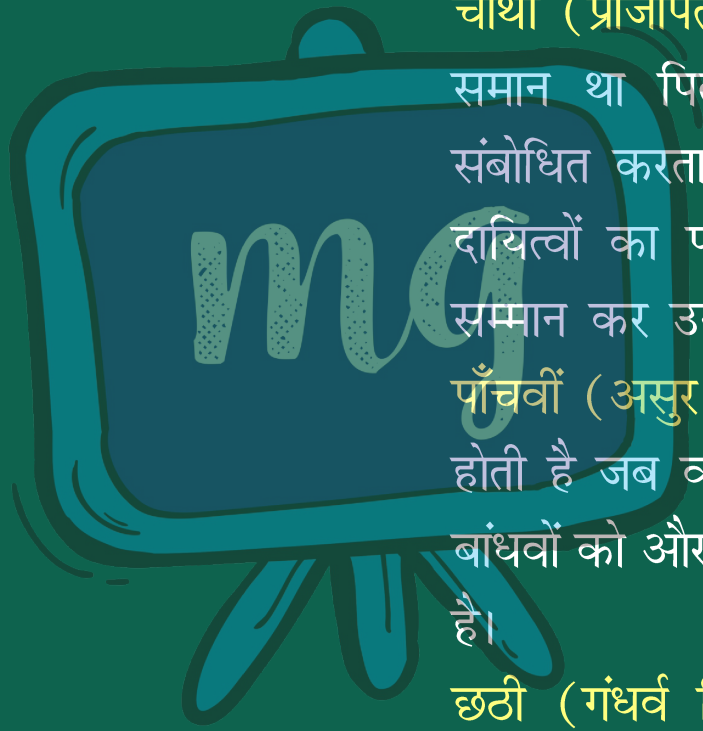
पहली (ब्रह्म विवाह) : कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो।

दूसरी (दैव विवाह) : देवताओं के लिए यज्ञ के अवसर पर पिता अपनी पुत्री को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने वाले पुरोहित को दान में दे देता था।

तीसरी (आर्ष विवाह) : विवाह की इच्छा रखने वाले ऋषि (पुरोहित) द्वारा कन्या के पिता को गाय और बैल या गाय और बैल का जोड़ा दान देने पर सम्पन्न होता था। आर्ष का अर्थ ऋषि है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



चौथी (प्राजापत्य विवाह) : यह भी ब्रह्म विवाह के समान था पिता वर-वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि : "तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो।" तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है।

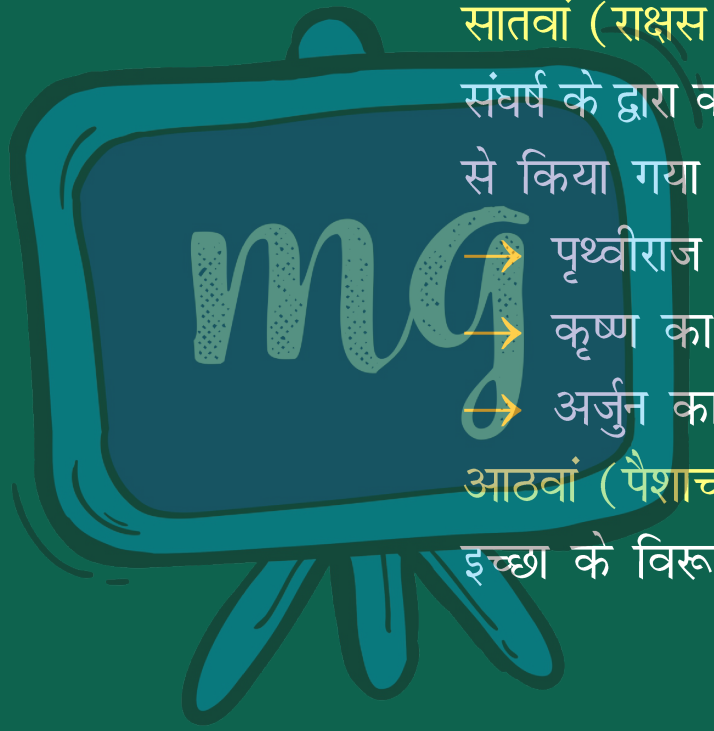
पाँचवीं (असुर विवाह): वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है।

छठी (गंधर्व विवाह) : स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग... जिसकी उत्पत्ति काम से है.

..

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



सातवां (राक्षस विवाह) : बलपूर्वक, छल कपट एवं संघर्ष के द्वारा कन्या का अपहरण कर जोर-जबरदस्ती से किया गया विवाह।

→ पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से

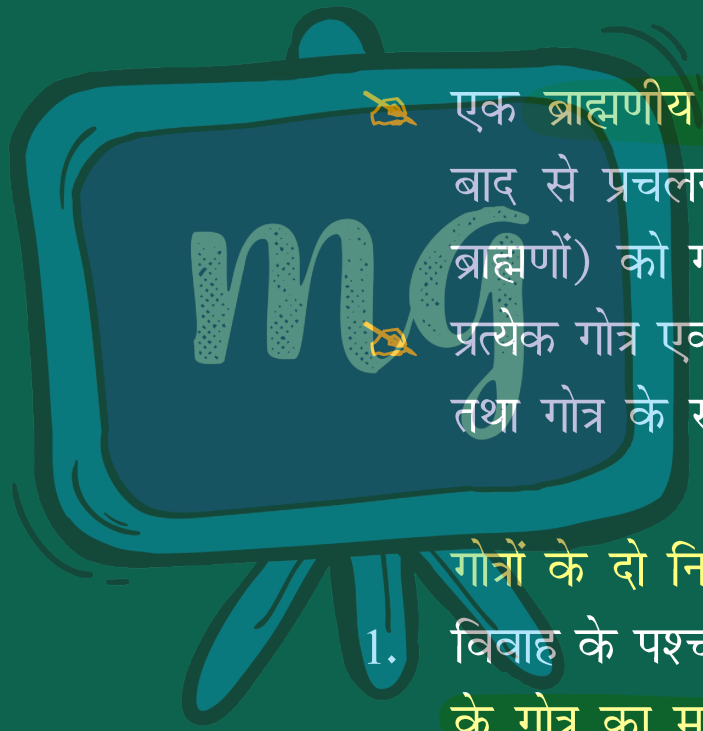
→ कृष्ण का रूकमणि से

→ अर्जुन का सुभद्रा से

आठवां (पैशाच विवाह) : बलात विवाह/कन्या की इच्छा के विरूद्ध विवाह करना।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



स्त्री का गोत्र

- एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ई.पू. के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों (खासतौर से ब्राह्मणों) को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी।
- प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। तथा गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे।

गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे :

1. विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था।
2. एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q 1000 ई पू. के आसपास ब्राह्मण वादी प्रथा के तहत गोत्र के आधार पर वर्गिकरण के नियमों का उल्लेख करें ?

- इन नियमों का अनुसरण होता था या नहीं इस बात को जानने सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश को देखते हैं।
- इन सातवाहन शासकों का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था (200 ई. - 200 ई. तक)।
- सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है।